



## केयरर्स के लिए मदद तथा सपोर्ट

न्यूजीलैण्ड केयरर्स एलायंस 45 राष्ट्रीय अलाभकारी संगठनों का समूह है जो फैमिली केयरर्स की प्रगति हेतु कार्य करते हैं।

केयरर्स न्यूजीलैण्ड एक राष्ट्रीय लोकोपकारी न्यास (चैरिटेबल ट्रस्ट) है जो फैमिली केयरर्स को जानकारी और सपोर्ट प्रदान करता है। यह न्यूजीलैण्ड केयरर्स एलायंस का सचिवालय भी है।




## देखभालकर्ताओं (केयरर्स) के लिए एक गाइड

He Aratohu mā ngā Kaitiaki



अधिक जानकारी के लिए  
[www.carers.net.nz](http://www.carers.net.nz) पर जाएं या  
केयरर्स के लिए उपलब्ध सेवाओं और सपोर्ट  
के बारे में मुफ्त गाइड के लिए निम्न पर  
कॉल करें:



**0800  
777  
797**

मुफ्त गाइड के लिए, वित्तीय मदद के बारे  
में जानकारी के लिए, या केयरर्स के बारे में  
जानकारी पर अन्य भाषा में किसी से बात  
करने के लिए, वर्क एंड इन्कम को  
0800 559 009 पर कॉल करें।




MINISTRY OF SOCIAL DEVELOPMENT  
*Te Manatū Whakahiato Ora*

NEW ZEALAND  
**CARERS**  
ALLIANCE



[newzealand.govt.nz](http://newzealand.govt.nz)

हिन्दी संस्करण  
सितम्बर 2009




ऐसे पारिवारिक लोगों या मित्रों की देखभाल करने  
वाले लोगों के लिए व्यावहारिक मदद, जो बूढ़े या  
बीमार हैं, निःशक्त या मानसिक रोगी हैं, ऐल्कोहॉल  
या किसी अन्य नशीली दवा के लत के शिकार हैं।



# क्या आप एक केयरर हैं?

क्या आप प्रायः किसी बुजुर्ग संबंधी, बीमार मित्र, परिवार के निःशक्त सदस्य, या किसी मनोरोगी, ऐल्कोहॉल या किसी अन्य नशीली दवा की लत के शिकार व्यक्ति की मदद उसके दैनिक कार्यों में करते हैं? यदि आप ऐसा करते हैं, तो आपकी मदद के लिए सेवाएं और सपोर्ट मिल सकती है।



## वित्तीय मदद

लाभ तथा वित्तीय सहायता, वर्क एंड इन्कम  
**0800 559 009**  
[www.workandincome.govt.nz](http://www.workandincome.govt.nz)



## अगर आपको कोई चोट लगी है तो ACC को कॉल करें

**0800 101 996**  
[www.acc.co.nz](http://www.acc.co.nz)



## उपकरण (इक्विपमेन्ट) और परिवर्धन (मॉडिफिकेशन्स)

उपकरण, आवास, और वाहन मॉडिफिकेशन्स  
**0508 001 002** (ऑकलैण्ड/नार्थलैण्ड)  
[www.accessable.co.nz](http://www.accessable.co.nz)  
**0800 17 1981** (शेष न्यूजीलैण्ड के लिए)  
[www.enable.co.nz](http://www.enable.co.nz)



## घर पर मदद

घर में, देखभाल तथा परिचर्या कार्यों के लिए आपकी जरूरतों का आकलन **NASC** द्वारा किया जाता है



## नीड्स एसेसमेंट एंड सर्विस को-ऑर्डिनेशन एजेंसी (NASC)

कम उम्र वाले लोगों के लिए (65 वर्ष से कम)  
आप [www.moh.govt.nz/disability](http://www.moh.govt.nz/disability) पर NASCs की सूची देख सकते हैं  
या फोन करें  
**0800 DSD MOH (0800 373 664)**.

अधिक उम्र वाले लोगों के लिए (65 वर्ष से कम)  
आप [www.moh.govt.nz/olderpeople](http://www.moh.govt.nz/olderpeople) पर NASCs की सूची देख सकते हैं  
या अपने स्थानीय जिला स्वास्थ्य बोर्ड (डिस्ट्रिक्ट हेल्थ बोर्ड) को कॉल करें और बुजुर्गों के लिए NASC टीम से बात करने के लिए पूछें।

मानसिक रोगी हैं, ऐल्कोहॉल या किसी अन्य नशीली दवा की लत के शिकार लोगों के लिए अपने स्थानीय जिला स्वास्थ्य बोर्ड (डिस्ट्रिक्ट हेल्थ बोर्ड) को कॉल करें और मनोरोगियों के लिए NASC टीम से बात करने के लिए पूछें।

## विशेष शिक्षा जरूरतों वाले बच्चे

अपने डॉक्टर, बच्चे के शिक्षक या स्कूल के प्रिंसिपल, या शिक्षा मंत्रालय, विशेष शिक्षा से बात करें।  
**0800 622 222**  
[www.minedu.govt.nz](http://www.minedu.govt.nz)

## स्वास्थ्य एवं निःशक्तता के अधिकार

स्वास्थ्य एवं निःशक्तता आयुक्त का कार्यालयें  
**0800 555 050**  
[www.hdc.org.nz](http://www.hdc.org.nz)

## काम संबंधी आपके अधिकार

श्रम विभागें  
**0800 20 90 20**  
[www.ers.govt.nz](http://www.ers.govt.nz)  
[info@dol.govt.nz](mailto:info@dol.govt.nz)

## एक ब्रेक लेना चाहते हैं?

आपकी जरूरतों का आकलन **NASC** द्वारा किया जाता है

